Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 19: Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent for job work

- (1) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on inputs sent to a job-worker for job-work.
- (2) Notwithstanding anything contained in clause (*b*) of sub-section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job-work without being first brought to his place of business.
- (3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job-work or otherwise or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 143 within one year of being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job-worker on the day when the said inputs were sent out:
 - **Provided** that where the inputs are sent directly to a job worker, the period of one year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker.
- (4) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on capital goods sent to a job worker for job work.
- (5) Notwithstanding anything contained in clause (*b*) of sub-section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to a job worker for job-work without being first brought to his place of business.
- (6) Where the capital goods sent for job work are not received back by the principal within a period of three years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out:
 - Provided that where the capital goods are sent directly to a job worker, the period of three years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker.
- (7) Nothing contained in sub-section (3) or sub-section (6) shall apply to moulds and dies, jigs and fixtures, or tools sent out to a job worker for job work.

Explanation – For the purpose of this section, "principal" means the person referred to in section 143.

धारा 19 : जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना

- (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।
- (2) धारा 16 की उपधार (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, इनपुटों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।
- (3) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुट भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार जॉब कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होते हो या जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे इनपुटों की पूर्ति उस दिन की गई थी, जब उक्त इनपुट भेजे गए थे:

परन्तु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे इनपुट भेजे जाते हो, वहां एक वर्ष की अवधि की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा इनप्टों को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।

- (4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा।
- (5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।
- (6) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अविध के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे पूंजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था:
 - परन्तु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अविध की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।
- (7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात, जॉब कार्य करने के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए सांचों और डाई, जिग्स और फिक्सचरों और औजारों को, लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।